UPJL010003232026

Presented on : 16-01-2026
Registered on : 16-01-2026
Decided on : 18-03-2026
Duration : 0 years, 2 months, 2 days

IN THE COURT OF
Spl. Judge D.A.A
AT ,Jalaun
(Presided Over by Dr. Avanish Kumar-II)
Anticipatory Bail App/49/2026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.), जालौन स्थान उरई।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–49/2026

अकरम खान उर्फ मु. अकरम, पुत्र अब्दुल खालिद, निवासी मुहल्ला तिलक नगर, कस्बा व थाना उरई, जिला जालौन। .....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....लोक अभियोजक

मु.अ.सं.–1293/2018
धारा–323, 504, 506, 420 भारतीय दण्ड संहिता
थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन।

दिनांक–18.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त अकरम खान उर्फ मु. अकरम, पुत्र अब्दुल खालिद, निवासी मुहल्ला तिलक नगर, कस्बा व थाना उरई, जिला जालौन की ओर से मुकदमा अपराध सं. 1293/2018, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 420 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि घटना दिनांक 19.02.2018 को प्रार्थी/अभियुक्त का कोई वास्ता व सरोकार नही है, न प्रार्थी को उक्त बैनामे से कोई मतलब रहा है। घटना दिनांक 19.02.2018 को प्रार्थनापत्र में या एफ.आई.आर. में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम दर्ज नही है। मुकदमा अपराध संख्या 1293/2018 में प्रार्थी/अभियुक्त को बिना किसी विश्वसनीय साक्ष्य के गलत गवाहो की मौखिक अवसर के आधार पर गलत विवेचना करके फंसाने का कार्य पुलिस व गवाह द्वारा किया गया है। मकान बिक्री में प्रार्थी न तो विक्रेता है, न केता है, न बैनामे में गवाह है, इसके बावजूद भी प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त अपराध में जानबूझकर अभियुक्त बनाया गया है। विवेचक महोदय के द्वारा कोई भी लिखित दस्तावेज प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध नही दिखाया गया है, मात्र मौखिक मेल में गवाहों से गवाही करके अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, कोई भी घटना कारित नही की है, न षडयन्त्र में शामिल है। प्रार्थी/अभियुक्त का को आपराधिक इतिहास नही है, प्रार्थी सादा जीवन यापन करता है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन श्रीमान जी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन न तो श्रीमान जी के न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दिया गया है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत निरस्त करने की याचना की गयी है।

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2026.03.18 14:41:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

धारा 438(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश राज्य के लिए यथा लागू) के अनुसार अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ इन बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए अर्थात–

(i) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,

(ii) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है,

(iii) न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता, और

(iv) जहॉ आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुॅचाने या अपमानित करने के उद्वेश्य से अभियोग लगाया गया हो।

अग्रिम जमानत के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत **गुरूबक्स सिंह सिब्बिया आदि बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज 581 व 582** महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा की पूर्ण पीठ द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है–Mere general allegations of mala fides in the petition are inadequate. The court must be satisfied on materials before it that the allegations of mala fides are substantial and the accusation appears to be false and groundless.

इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– Does this rule mean, and that is the argument of the learned Additional Solicitor General, that anticipatory bail cannot be granted unless it is alleged (and naturally, also shown, because mere allegation is never enough) that the proposed accusations are mala fide? It is understandable that if mala fides are shown, anticipatory bail should be granted in the generality of cases. But it is not easy to appreciate why an application for anticipatory bail must be rejected unless the accusation is shown to be mala fide. This, truly, is the risk involved in framing rule by judicial construction. Discretion, therefore, ought to be permitted to remain in the domain of discretion, to be exercised objectively and open to correction by the higher courts. The safety of discretionary power lies in this twin protection which provides a safeguard against its abuse.

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा दीपक द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,जालौन स्थान उरई में प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के माता पिता की मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है। प्रार्थी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, मृत्यु समय प्रार्थी नाबालिग था, इस समय प्रार्थी बालिग हो चुका है और अपना अच्छा बुरा सोचने समझने में पूर्ण समर्थ है। प्रार्थी के पिता स्व० वनमाली ने दिनांक 06.07.1993 को श्री रामकिशुन, पुत्र लल्लू कुशवाहा, नि.मु. लहारियापुरवा, उरई से एक प्लाट मुहल्ला लहारियापुरवा उरई में खरीदा था, तभी से प्रार्थी के पिता मकान बनवाकर उसमें रहने लगे थे। प्रार्थी के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे, उनकी मृत्यु दिनांक 25.08.99 को दुर्घटना मे हो गयी थी, इसके बाद प्रार्थी मां श्रीमती मंजू के नाम उक्त मकान नं. 255/ए, दर्ज हो गया था। वर्ष 2002 में प्रार्थी की मां श्रीमती मंजू की भी मृत्यु हो गयी, प्रार्थी को जानमाल का खतरा होने के कारण प्रार्थी अपने मामा गुड्डू, नि.ग्रा. रजधान जाकर रहने लगा और प्रार्थी का बचपन मामा के यहां ही व्यतीत हुआ। उरई स्थित उक्त मकान विरासतन प्रार्थी के नाम नगर पालिका उरई में दर्ज हो गया था, प्रार्थी बराबर हाउस टैक्स देता आ रहा है और आज भी उक्त मकान नगर पालिका परिषद उरई में प्रार्थी के नाम म.नं. 523 के रूप में दर्ज है। दिनांक 22.10.18 को प्रार्थी अपने मकान नं. 523

लहारियापुरवा उरई में अपने मामा गुड्डू व महेन्द्र नि.ग्रा. बसोव के साथ आया, तो पता चला कि प्रार्थी का मकान मेरे सगे ताऊ गुलाब सिंह, पुत्र मिर्च, नि. मु. लहारियापुरवा उरई, मुकीम, पुत्र नईम, नि.मु. पटेल नगर उरई, दुर्गा प्रसाद, पुत्र मुलुआ, नि.मु. इन्द्रानगर उरई व विनय कुमार यादव एडवोकेट उरई ने षडयंत्र के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर जायदा बेगम, पत्नी मो. नईम कुरैशी, निवासी मु. तिलकनगर उरई को बेच दिया, जिसकी रजिस्ट्री संख्या 1274/14 है। उपरोक्त सभी को यह जानकारी थी कि बैनामा करने वाला विक्रेता, प्रार्थी नहीं है और न ही प्रार्थी की फोटो व हस्ताक्षर बने हुए है, फिर भी कपटपूर्वक फर्जी प्रार्थी के फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचना कर बेईमानी से दिनांक 26.08.2016 को उपनिबंधिक उरई के कार्यालय में श्रीमती जायदा बेगम ने अपने नाम बैनामा करा लिया, चूंकि जायदा बेगम इस धोखाधड़ी से परिचित थी व उसमें शामिल थी, इसलिए उसने दिनांक 29.08.2016 को उक्त मकान श्रीमती विद्या देवी, पत्नी सेवाराम, को विक्रय कर दिया। प्रार्थी व प्रार्थी के मामा गुड्डू व महेन्द्र ने दिनांक 02.11.2018 को समय करीब 03 बजे जायदा बेगम व गवाहों से तिलकनगर उरई मे सम्पर्क किया, तो उक्त सभी लोगों ने प्रार्थी को धमकी दी कि हमने उक्त मकान फर्जी कागजात तैयार कर धोखाधडी करके बेच दिया है, यदि तुमने कोई कार्यवाही की तो तुम्हारी हत्या कर देगे, विरोध करने पर प्रार्थी के साथ गाली गलौज कर मारपीट की और धमकी दी कि अगर दुबारा उरई में दिखे, तो जान से मार दिये जाओगे, प्रार्थी उक्त घटना की रिपोर्ट करने कोतवाली उरई गया लेकिन रिपोर्ट नही लिखी गयी, तब प्रार्थी ने दिनांक 03.11.18 को पुलिस अधीक्षक जालौन स्थान उरई को रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र दिया, इसके बाद भी न तो प्रार्थी की रिपोर्ट लिखी गयी और न कोई कार्यवाही हुई, तब श्रीमानजी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः श्रीमान जी निवेदन है कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई को प्रार्थी के रिपोर्ट दर्ज कर उपरोक्त सभी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें। वादी मुकदमा के उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर न्यायालय के आदेश द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 19.12.2018 को मु.अ.सं. 1293/2018, धारा 323, 504, 506, 420 भा.दं.सं. में थाना कोतवाली उरई में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई। प्रपत्र के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा अभियुक्त को धारा 41 ए सी.आर.पी.सी. के नोटिस तामीला कराने के पश्चात वह विवेचना में हाजिर हुआ है और उसने विवेचना में सहयोग किया है। समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त पर आरोपित धारा में सात वर्ष तक के कारावास का दण्ड प्रावधानित है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अकरम खान उर्फ मु. अकरम, पुत्र अब्दुल खालिद, निवासी मुहल्ला तिलक नगर, कस्बा व थाना उरई, जिला जालौन की ओर से मुकदमा अपराध सं. 1293/2018, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 420 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा 50,000/– (पचास हजार रूपये) की धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि की दो जमानते सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों पर अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाता है कि–

(1) प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष उन समस्त तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आयेगा, जिन तिथियों पर न्यायालय द्वारा उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) प्रार्थी/अभियुक्त साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा, और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

(3) यदि प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करता है या बिना किसी कारण के वह अनुपस्थित होता है, तो न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की अग्रिम जमानत निरस्त करने हेतु विधि अनुसार आदेश पारित करेगी।

दिनांकः–18.03.2026

(डा. अवनीश कुमार–।।)
विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.),
जालौन स्थान उरई।